समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का सप्तम सत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2012 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल पाँच बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा षष्टम् सत्रोपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 06 (छः) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । 10 (दस) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को माननीय नेता, प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा नियम-43 के तहत राज्य में मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा गया जिस पर वाद-विवाद के उपरान्त सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उत्तर दिया गया ।

दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों के अधिकाई व्यय विवरणी को सदन पटल पर रखा गया ।

गृह (विशेष) विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-41(3) के तहत् बिहार मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्त्ते) नियम, 2009 की एक प्रति, उर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा-61(3) के तहत् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना का वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-2010 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए) के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत् बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम-निर्माण-प्रक्रिया)

नियमावली, 2012 एवं बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012 की एक-एक प्रति एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 तथा बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा-31(4) के तहत् पंचायती राज संस्थाएँ, बिहार सरकार से संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार का 31 मार्च, 2009 एवं 2010 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

निगरानी विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-5(1) के अधीन निर्गत 28 (अठाईस) अधिघोषणा की प्रति, धारा-25 के तहत सदन पटल पर रखी गयी ।

वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-170, दिनांक 21.09.2012 तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-191, दिनांक 17.10.2012 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित उर्जा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ एवं शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये ।

दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को पटना के अदालत घाट पर छठ की पूर्व संध्या पर घटी दु:खद घटना के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत सदन में विचार-विमर्श हुआ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (1) बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012, (2) बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन (संशोधन) विधेयक, 2012, (3) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास विधेयक, 2012. (4) बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) विधेयक, 2012, (5) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2012, (6) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2012, (7) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 एवं (8) बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1978-1979, 1979-1980,1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 2008-2009 एवं 2009-2010) विधेयक, 2012 सभा द्वारा स्वीकृत किए गए ।

सत्र के दौरान कुल-740 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-519 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 08 अल्पसूचित प्रश्न, 385 तारांकित प्रश्न एवं 126 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 62 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 111 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये। 02 प्रश्न अपृष्ठ हुए, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-08 एवं 336 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र के दौरान कुल-86 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से कतिपय जनहित के मामले उठाये गये ।

बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में कुल-100 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 84 स्वीकृत हुए एवं 16 अस्वीकृत हुए । कुल-50 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 36 स्वीकृत एवं 14 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल-102 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 85 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 09 अमान्य हुए ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । वर्ष 2012 का यह अन्तिम सत्र है ।

अब नव वर्ष 2013 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❄❄❄❄❄